न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,सागवाडा,जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री दिनेश कुमार गढवाल,आर जे एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या– 184/2023 (सी.आई.एस.नंबर 184/2023)

अनवर मलिक उर्फ कालिया पिता अल्लारखा मलिक उम्र 53 साल निवासी समरखा पुलिस थाना व जिला आणंद, गुजरात।

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नं 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है) ..... प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सागवाडा, जिला डूंगरपुर।

.....विपक्षी–अभियोगी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
बाबत एफ.आई. आर. संख्या 115/2023 पुलिस थाना सागवाडा
अन्तर्गत धारा–19/54, 54–डी राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री वीरेन्द्र मीणा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री आजाद शाह –विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक 03.08.2023

1. प्रार्थी–अभियुक्त अनवर मलिक मिया उर्फ कालिया की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा जिला डूंगरपुर के द्वारा दिनांक 21.07.2023 को अस्वीकार कर दिया जाने से व्यथित होकर यह आवेदन इस न्यायालय में पेश हुआ।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से कोई माल बरामद नहीं हुआ है। उसे झूठा फसाया गया है। मुलजिम ही अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला है, यदि जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसका परिवार भूखों मर जावेगा। प्रार्थी/अभियुक्त प्रार्थना पत्र में दर्ज पते अनुसार स्थायी निवासी है, जिसके बाद जमानत कहीं भाग कर जाने का अंदेशा नहीं है, मौतबीर जमानतें प्रस्तुत करने को तत्पर है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अंत में जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। जिसपर केस डायरी तलब हुई।

4. प्रार्थना पत्र पर दौराने मौखिक बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का

निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक/संबंधित थानाधिकारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अभियुक्त से पूर्व सजायाबी/पूर्व प्रकरण दर्ज होने की निम्न रिपोर्ट पेश की है :–

क्रम संख्या	अभियुक्त/ प्रार्थी का नाम	एफ.आई. आर. नंबर मय थाना	अपराध धारा	न्यायालय का नाम	एफआईआर दर्ज दिनांक	गिरफ्तारी की दिनांक	पूर्व में जमानत पर छोडे जाने की दिनांक	वर्तमान स्टेज
1	अनवर मलिक मिया उर्फ कालिया	280/14	प्रोहिबिशन एक्ट (शराब क्रय एवं विक्रय अधिनियम) गुजरात	–	–	–	–	–
		02/17		–	–	–	–	–
		193/18		–	–	–	–	–
		42/20		–	–	–	–	–
		228/19		–	–	–	–	–
		1013/20		–	–	–	–	–
		867/20		–	–	–	–	–
		767/20		–	–	–	–	–
		159/21		–	–	–	–	–
		401/22		–	–	–	–	–
		612/21		–	–	–	–	–

5. सुना गया। बहस में रखे गये तथ्यों पर मनन किया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. मुलजिम दिनांक 19.07.2023 से अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 19/54, 54–डी राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप है, जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त नाथुसिंह की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2023 को स्वीकार की जा चुकी है, जिससे इसका प्रकरण भिन्न नहीं है। पूर्व दर्ज प्रकरणों की सूची अस्पष्ट है। ये प्रकरण कहां लंबित है व किस स्टेज पर है, यह अंकन नहीं है। प्रकरण की सुनवाई में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ।

:: आदेश::

6. फलस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त अनवर मलिक उर्फ कालिया पिता अल्लारखा मलिक उम्र 53 साल निवासी समरखा पुलिस थाना व जिला आणंद, गुजरात **की ओर से प्रस्तुत** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद, प्रकरण की प्रत्येक सुनवाईयों पर उपस्थित रहने बाबत **पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें व एक लाख रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका** पेश कर तस्दीक करादें तो उसे इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(Criminal) No.04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail&SLP (Crl) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये

आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति प्रभारी अधिकारी, सब जेल सागवाडा को भी जरिये मेल प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में भिजवायी जावे। अनुसंधान पत्रावली लौटाई जावे।

--sd--

(दिनेश कुमार गढवाल)

7. आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

--sd--

(दिनेश कुमार गढवाल)